"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 303-ज] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2002—कार्तिक 9, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

क्रमांक 6976.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 29-10-2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. वाजपेयी, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 29 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध (संशोधन) अधिनियम, 2002

छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) को संशोधित करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के 53वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 29 सन् 2002) है.

(2) यह छत्तीसगढ़ राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 9 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 9 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(1) राज्य के लिये एक औद्योगिक न्यायालय होगा जिसमें अध्यक्ष और एक या एक से अधिक इतने सदस्य होंगे जितने कि राज्य सरकार समय-समय पर नियुक्त करना उचित समझे".

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

क्रमांक 6976.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 29 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. वाजपेयी, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 29 of 2002)

THE CHHATTISGARH INDUSTRIAL RELATIONS (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2002

An Act to make an amendment in the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-third Year of the Republic of Inida as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Industrial Relations (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (No. 29 of 2002).

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Chhattisgarh Gazette.

Amendment in Section 9.

2. In Section 9 of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960) for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) There shall be an industrial court for the state, consisting of the President and one or more members as the State Govt. may from time to time think fit to appoint".

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.